

### 1.5(c). धार्मिक नीति : अशोक का 'धर्म' (*The Religious Policy : Ashoka's 'Dhamma'*)

अशोक विश्व-इतिहास में जितना अधिक एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विख्यात नहीं है, उससे ज्यादा वह इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने मानव की नैतिक उन्नति के लिए जीवनपर्याप्त प्रयास किया। सत्य, अहिंसा और जीव के कल्याण के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहा। कलिंग-युद्ध के पश्चात उसका सारा ध्यान मानव-कल्याण की तरफ गया। इसके लिए उसने जिन सिद्धांतों का विकास और प्रचार किया, वे इतिहास में धर्म के नाम से विख्यात हैं।

अशोक के 'धर्म' को प्रभावित करनेवाले तत्त्व—अशोक के धर्म को प्रभावित करनेवाले अनेक कारण थे। यद्यपि अशोक बौद्धधर्म का अनुयायी था, बौद्धधर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, तथापि जनसाधारण के लिए जिस 'धर्म' का प्रचार उसने किया, वह बौद्धधर्म से भिन्न था। अशोक जिस वातावरण में रहा था, उसने उसे स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति दी। मौर्य-साम्राज्य की स्थापना के साथ ही मौर्य-शासकों का विदेशियों (यूनानियों) से घनिष्ठ संबंध कायम हुआ। यह प्रक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक तक अवाध गति से चलती रही। फलस्वरूप मौर्य-शासकों की मानसिकता कट्टरपंथी और रूढ़िवादी नहीं थी। चंद्रगुप्त, बिंदुसार,

1. "A single writ of the emperor ran from Peshawer to Bengal and from Kashmir to Mysore which never happened in ancient India and was but rarely witnessed before the middle of the 19th century."—R. C. MAJUMDAR.

अशोक सभी धार्मिक मामलों में गहरी रुचि लेते थे, परंतु उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों के जनता पर थोपने का प्रयास नहीं किया। दूसरी तरफ, अशोक ने धर्म के रूप में एक ऐसा आदर्श जनता के सामने रखा, जिसे वह सहर्ष और आसानी से ग्रहण कर अपना नैतिक उत्थान कर सके।

'धर्म' की नीति कार्यान्वित करने के पीछे कुछ अन्य कारण भी थे। एक तरफ नए धर्मों (बौद्ध एवं जैन) का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ वैदिक या ब्राह्मणधर्म में सुधार लाकर इसे सर्वग्राह्य बनाने का प्रयास हो रहा था। ऐसी स्थिति में सामाजिक वातावरण अशांत था। नए और पुराने धर्मों के बीच टकराहट की संभावना से बचने के लिए, सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए, दोनों धर्मों के बीच का मार्ग निकालकर जनता के कल्याण के लिए अशोक ने अपना नया 'धर्म' आरंभ किया। प्रो॰ रोमिला थापर का विचार है कि अशोक ने राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर ही नए धर्म की कल्पना की तथा इसका प्रसार किया। अशोक के समय तक मौर्य-साम्राज्य जितना विशाल और सुदृढ़ हो चुका था, उसकी सुरक्षा के केवल दो ही उपाय थे। एक उपाय था कि सैनिक-शक्ति के बल पर साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाए। इस व्यवस्था में एक कठिनाई यह थी कि ऐसा तभी संभव था, जब राजा योग्य और शक्तिशाली हो। कमजोर और अयोग्य शासक साम्राज्य की सुरक्षा केवल सेना के बल पर नहीं कर सकते थे। साम्राज्य की सुरक्षा का दूसरा उपाय था सभी धर्मों से संकलित सारग्राही धर्म को अपनाना। दूसरा तरीका ज्यादा सुगम और लाभदायक था। सैनिक-शक्ति के बदले 'धर्म' के आधार पर साम्राज्य में रहनेवाले सभी वर्गों, समुदायों, राजनीतिक इकाइयों को संगठित कर एक सूत्र में बाँधकर मौर्य-साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास अशोक ने किया। अतः, 'धर्म' राजनीति से प्रेरित था।<sup>1</sup> बाद में मुगल-सम्राट् अकबर ने भी दीन इलाही के द्वारा यही कार्य किया। कुछ आधुनिक विद्वान रोमिला थापर के इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि बौद्ध अनुश्रुतियाँ और स्वयं अशोक के अभिलेख (13वाँ शिलाभिलेख) यह प्रमाणित करते हैं कि कलिंग-युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया।<sup>2</sup> इस मत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। कलिंग-युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया। उसके 'धर्म' का स्वरूप बाद में विकसित हुआ। अतः, अन्य कारणों के अतिरिक्त अशोक का धर्म निश्चित रूप से राजनीति से भी प्रभावित था।

**अशोक के धर्म का स्वरूप**—अशोक के धर्म के वास्तविक स्वरूप के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अनेक विद्वानों की धारणा है कि अशोक का धर्म वस्तुतः बौद्धधर्म ही था, इससे भिन्न कुछ भी नहीं था। अन्य विद्वान अशोक के धर्म को बौद्धधर्म से भिन्न मानते हैं। आरंभ में अशोक बौद्धधर्म का अनुयायी था। इसकी पुष्टि महावंश से होती है। दीपवंश के अनुसार श्रमण निग्रोध और मोगलिपुत तिस्स के प्रभाव में आ चुका था, परंतु विधिवत् इस धर्म में दीक्षित वह कलिंग-युद्ध के पश्चात ही हुआ। इसीलिए, थॉमस महोदय का विचार है कि अशोक एक बौद्ध था।<sup>3</sup> इतिहासकार प्रो॰ नीलकंठ शास्त्री भी ऐसा ही मत व्यक्त करते हैं।<sup>4</sup> इस बात में कोई संदेह नहीं कि अशोक का बौद्धधर्म से गहरा अनुराग था। यह बात पालि-साहित्य, अशोक के अभिलेखों और मौर्यकालीन कलाकृतियों से भी स्पष्ट हो जाती है। प्रथम लघु शिलालेख (रूपनाथ) में अशोक अपने को 'बुद्धशाक्य' और प्रकाश्य रूप से

1. "The adoption of a new faith and its active propagation would act as a cementing force, wielding the smaller units. It could be used as a measure to consolidate conquered territory provided that was used wisely, and was not forced upon unwilling people....."—ROMILA THAPAR

2. डी॰ एन॰ झा एवं के॰ एम॰ श्रीमाली (सं॰), प्राचीन भारत का इतिहास, पृ॰ 185

3. "Ashoka was undoubtedly a Buddhist : he became a lay disciple and then a monk : later he proclaims his regard for the religion and his personal faith."—F. W. THOMAS

4. "Ashoka turned Buddhism from a dry academic pursuit of knowledge to a colourful and emotional religion with wide popular appeal."—K. A. N. SASTRI

103

‘शाक्य’ कहता है। वह यह भी कहता है कि ढाई वर्षों से कुछ अधिक समय से वह बौद्धधर्म का उपासक रहा है। इसी प्रकार, भाबू-शिलालेख में अशोक ने बौद्धधर्म के त्रिल—बुद्ध, धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है। उसने बौद्धग्रंथों से सात ऐसे अंशों का चयन भी किया, जिन्हें बौद्ध सुनें एवं उनका मनन करें। सारनाथ तथा साँची के स्तम्भाभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक ने संघ में फूट डालनेवालों के विरुद्ध दंड की व्यवस्था की। अपने राज्याभिषेक के दसवें वर्ष वह बोधगया गया; बारहवें वर्ष उसने निगलीसागर की यात्रा की तथा कनकमुनि के स्तूप का विस्तार किया। उसने लुम्बिनी की भी यात्रा की तथा वहाँ धार्मिक-कर लेना बंद करवा दिया। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया। पालि-साहित्य भी अशोक को बौद्ध सिद्ध करने का प्रयास करता है। महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक ने बौद्धों की तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में बुलाई। उसने अपने संभों पर बुद्ध के जीवन से संबद्ध पशुओं की आकृतियाँ (हाथी, साँढ़, घोड़ा, सिंह) और चक्र बनवाए। अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अशोक का बौद्धधर्म से गहरा संबंध था। इसी आधार पर अनेक विद्वान अशोक के धर्म को बौद्धधर्म ही मानते हैं। उनका कहना है कि अशोक ने बौद्धधर्म का ही प्रचार किया।

बौद्धधर्म से प्रभावित होते हुए भी अशोक ने जिस नए ‘धर्म’ की कल्पना की, वह बौद्धधर्म से भिन्न था। इसके अंतर्गत चार आर्य सत्य, आष्टांगिक मार्ग या निर्वाण की कल्पना नहीं की गई। अशोक नए धर्म को माननेवालों के लिए भिक्षुक का जीवन व्यतीत करने या उनके लिए संघ की स्थापना की भी बात नहीं करता है। अपने धर्म की व्याख्या अशोक स्वयं अपने अभिलेखों में करता है। अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को इसमें सन्त्रिहित किया गया था। यह वास्तव में नैतिक नियमों का संग्रह था।<sup>1</sup> यह सर्वसाधारण के लिए मानवधर्म था। अशोक स्वयं बौद्धधर्म को माननेवाला था, परंतु उसके अभिलेखों में जिस धर्म का उल्लेख मिलता है और जिसका प्रचार उसने किया, वह सर्वसाधारण का धर्म था। अशोक का धर्म ‘राजधर्म’ भी नहीं था, जिसे जबर्दस्ती सब पर थोपने का प्रयास किया गया, बल्कि यह कामना की गई कि उसके उत्तराधिकारी और प्रजा सभी स्वेच्छा से इसका पालन करेंगे। वस्तुतः, धर्म के द्वारा अशोक का उद्देश्य सहिष्णुता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। उसने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की।<sup>2</sup>

**अशोक के धर्म के मूल तत्त्व**—अशोक के अभिलेखों से धर्म की विशेषताओं की जानकारी मिलती है। प्रो॰ रोमिला थापर का विचार है कि धर्म अशोक की निजी कल्पना थी; परंतु कुछ विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि धर्म के मूल तत्त्व बौद्धग्रंथों—दीघनिकाय और धर्मपद—से लिए गए हैं।<sup>3</sup> चूंकि अशोक स्वयं बौद्धधर्म को माननेवाला था, बौद्धधर्म से उसका गहरा लगाव था, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसने बौद्धधर्म में निहित उन तत्त्वों को अपना लिया, जिनसे मानव का कल्याण हो सके और जिनका पालन सभी व्यक्ति आसानी से सामाजिक व्यवस्था को क्षति पहुँचाए बिना कर सकें। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अशोक ने सिर्फ बौद्धधर्म की ही नहीं, बल्कि अन्य संप्रदायों की मूलभूत मान्यताओं, जो देश-काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं थीं, को अपना लिया और उन्हें एक नए रूप में प्रस्तुत किया।

अशोक के धर्म के दो पहलू हैं—व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक। व्यावहारिक पहलू को दो भागों में विभक्त किया गया है—स्वीकारात्मक तथा निषेधात्मक। दूसरे तथा सातवें अभिलेखों में अशोक स्वयं धर्म की व्याख्या करता है—“धर्म है साधुता, बहुत-से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, सत्य और पवित्रता।” इसके अतिरिक्त धर्म का पालन करनेवालों को जीवहिंसा से बचने, माता-पिता की

1. “.....his dhamma was an ethical code aimed at building up an attitude of social responsibility among the people.”—D. N. JHA

2. “Ashoka’s teachings were intended to maintain the existing social order on the basis of tolerance. He does not seem to have preached any sectarian faith.”—R. S. SHARMA

3. डी॰ एन॰ झा और के॰ एम॰ श्रीमाली (सं॰), प्राचीन भारत का इतिहास, पृ॰ 185

'शाक्य' कहता है। वह यह भी कहता है कि ढाई वर्षों से कुछ अधिक समय से वह बौद्धधर्म का उपासक रहा है। इसी प्रकार, भाबू-शिलालेख में अशोक ने बौद्धधर्म के त्रिरत्न—बुद्ध, धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है। उसने बौद्धग्रंथों से सात ऐसे अंशों का चयन भी किया, जिन्हें बौद्ध सुनें एवं उनका मनन करें। सारनाथ तथा साँची के स्तम्भाभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक ने संघ में फूट डालनेवालों के विरुद्ध दंड की व्यवस्था की। अपने राज्याभिषेक के दसवें वर्ष वह बोधगया गया; बारहवें वर्ष उसने निगालीसागर की यात्रा की तथा कनकमुनि के स्तूप का विस्तार किया। उसने लुम्बिनी की भी यात्रा की तथा वहाँ धार्मिक-कर लेना बंद करवा दिया। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया। पालि-साहित्य भी अशोक को बौद्ध सिद्ध करने का प्रयास करता है। महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक ने बौद्धों की तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में बुलाई। उसने अपने संभों पर बुद्ध के जीवन से संबद्ध पशुओं की आकृतियाँ (हाथी, साँढ़, घोड़, सिंह) और चक्र बनवाए। अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अशोक का बौद्धधर्म से गहरा संबंध था। इसी आधार पर अनेक विद्वान अशोक के धर्म को बौद्धधर्म ही मानते हैं। उनका कहना है कि अशोक ने बौद्धधर्म का ही प्रचार किया।

बौद्धधर्म से प्रभावित होते हुए भी अशोक ने जिस नए 'धर्म' की कल्पना की, वह बौद्धधर्म से भिन्न था। इसके अंतर्गत चार आर्य सत्य, आषांगिक मार्ग या निर्वाण की कल्पना नहीं की गई। अशोक नए धर्म को माननेवालों के लिए भिक्षुक का जीवन व्यतीत करने या उनके लिए संघ की स्थापना की भी बात नहीं करता है। अपने धर्म की व्याख्या अशोक स्वयं अपने अभिलेखों में करता है। अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को इसमें सन्त्रिहित किया गया था। यह वास्तव में नैतिक नियमों का संग्रह था।<sup>1</sup> यह सर्वसाधारण के लिए मानवधर्म था। अशोक स्वयं बौद्धधर्म को माननेवाला था, परंतु उसके अभिलेखों में जिस धर्म का उल्लेख मिलता है और जिसका प्रचार उसने किया, वह सर्वसाधारण का धर्म था। अशोक का धर्म 'राजधर्म' भी नहीं था, जिसे जर्बदस्ती सब पर थोपने का प्रयास किया गया, बल्कि यह कामना की गई कि उसके उत्तराधिकारी और प्रजा सभी स्वेच्छा से इसका पालन करेंगे। वस्तुतः, धर्म के द्वारा अशोक का उद्देश्य सहिष्णुता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। उसने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की।<sup>2</sup>

**अशोक के धर्म के मूल तत्त्व**—अशोक के अभिलेखों से धर्म की विशेषताओं की जानकारी मिलती है। प्रो॰ रोमिला थापर का विचार है कि धर्म अशोक की निजी कल्पना थी; परंतु कुछ विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि धर्म के मूल तत्त्व बौद्धग्रंथों—दीघनिकाय और धर्मपद—से लिए गए हैं।<sup>3</sup> चूँकि अशोक स्वयं बौद्धधर्म को माननेवाला था, बौद्धधर्म से उसका गहरा लगाव था, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसने बौद्धधर्म में निहित उन तत्त्वों को अपना लिया, जिनसे मानव का कल्याण हो सके और जिनका पालन सभी व्यक्ति आसानी से सामाजिक व्यवस्था को क्षति पहुँचाए बिना कर सकें। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अशोक ने सिर्फ बौद्धधर्म की ही नहीं, बल्कि अन्य संप्रदायों की मूलभूत मान्यताओं, जो देश-काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं थीं, को अपना लिया और उन्हें एक नए रूप में प्रस्तुत किया।

अशोक के धर्म के दो पहलू हैं—व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक। व्यावहारिक पहलू को दो भागों में विभक्त किया गया है—स्वीकारात्मक तथा निषेधात्मक। दूसरे तथा सातवें अभिलेखों में अशोक स्वयं धर्म की व्याख्या करता है—“धर्म है साधुता, बहुत-से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, सत्य और पवित्रता।” इसके अतिरिक्त धर्म का पालन करनेवालों को जीवहिंसा से बचने, माता-पिता की

1. “.....his dhamma was an ethical code aimed at building up an attitude of social responsibility among the people.”—D. N. JHA

2. “Ashoka's teachings were intended to maintain the existing social order on the basis of tolerance. He does not seem to have preached any sectarian faith.”—R. S. SHARMA

3. डी॰ एन॰ ज्ञा और के॰ एम॰ श्रीमाली (सं॰), प्राचीन भारत का इतिहास, पृ॰ 185

आज्ञा मानने, गुरुजनों के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करने, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता दिखाने एवं उचित व्यवहार करने तथा दासों और भूत्यों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करने का भी आदेश दिया गया है। इसी प्रकार, अल्प व्यय और अल्प संग्रह (तीसरा शिलालेख) भी धम्म है। अशोक धम्म के निषेधात्मक पक्ष, अर्थात् इसकी प्रगति में बाधक तत्त्वों का भी उल्लेख करता है। पाप (आसिनव) धम्म की प्रगति को रोकता है। ये पाप विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे—चांडय, नैषुर्य, क्रोध, मान और ईर्ष्या (तीसरा स्तंभाभिलेख)। अतः, धम्म की प्राप्ति के लिए इनसे बचना आवश्यक है।

धम्म की प्राप्ति के लिए अशोक अन्य उपायों का भी उल्लेख करता है। प्रथम शिलाभिलेख के अनुसार, “अत्यंत धर्म-कामना, अत्यंत परीक्षा, अत्यंत शुश्रूषा, अत्यंत भय और अत्यंत उत्साह के बिना ऐहिक और पारलौकिक (उद्देश्य) कठिनाईपूर्वक प्रतिपादित होनेवाले हैं।” अतः, धम्म की प्राप्ति के लिए अशोक ने धर्मगुण, धर्मानुशासन, धर्मचरण, धर्मयात्रा, धर्ममंगल एवं धर्मदान की व्यवस्था की। इन गुणों के पालन से ही धम्म का वास्तविक रूप प्राप्त किया जा सकता था।

व्यावहारिक पक्ष के अतिरिक्त धम्म के कुछ सैद्धांतिक पहलू भी थे। अशोक परलोक में विश्वास करता था। वह अपनी प्रजा के भौतिक एवं इहलौकिक कल्याण की भी कामना करता था। वह सभी धर्मों का प्रचार-प्रसार चाहता था, उसमें धार्मिक कट्टरपन नहीं था। इसीलिए, उसने सभी संप्रदायों को सभी स्थानों में वास की सुविधा प्रदान की। उसने धर्ममंगल की श्रेष्ठता और धर्मदान की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। वह धम्म द्वारा विजय और सच्चे यश की भी कामना करता है। धम्म ही उसके शासन का मुख्य आधार था। इसलिए, उसने धम्म के प्रचार के लिए कार्य किए। वस्तुतः, “अशोक का धम्म व्यावहारिक, फलमूलक और अत्यधिक मानवीय था। … उसने अपने शासनकाल में निरंतर यह प्रयास किया कि प्रजा के सभी वर्गों और संप्रदायों के बीच सहमति का आधार ढूँढ़ा जाए और उसी सामान्य आधार के अनुसार नीति अपनाई जाए।”<sup>1</sup>

**धम्म का प्रचार**—अशोक ने धम्म-प्रचार के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण उपाय किए। सातवें स्तम्भाभिलेख द्वारा अशोक ने धर्मप्रचार के लिए जो कार्य किए उनकी जानकारी मिलती है। इस अभिलेख द्वारा उसने धार्मिक घोषणाएँ करवाईं, धर्मस्तम्भों का निर्माण करवाया तथा धर्म-महामात्रों की नियुक्ति की। उसने धर्मयात्रा भी की तथा विदेशों में प्रचारकों को भेजा। उसके इन कार्यों से धर्म की अत्यधिक प्रगति हुई। धम्म से संबद्ध घोषणाएँ पत्थर के टुकड़ों और संभों पर लिपिबद्ध करवाकर महत्त्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित की गईं। इनमें जनसाधारण के अतिरिक्त राजकर्मचारियों को भी धम्म-संबंधी निर्देश दिए गए। उसने पुरुषों, राजुकों को धम्म-संबंधी निर्देश दिए तथा युक्तों, राजुकों और प्रादेशिकों को आदेश दिया कि वे प्रति पाँच वर्षों पर धर्मानुशासन के लिए निकलें। धम्म के प्रचार के लिए अशोक का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था धम्म-महामात्रों की नियुक्ति। अपने शासन के 14वें वर्ष में अशोक ने इनको नियुक्त किया। इनका कार्य समाज के सभी वर्गों और संप्रदायों के बीच, देश, सीमांत तथा विदेश में, प्रजा के कल्याण तथा सुख एवं धम्म की अभिवृद्धि करना था। इनमें कुछ बौद्धसंघ का कार्य देखते थे, कुछ ब्राह्मणों, आजीवकों, नियंथों एवं अन्य संप्रदायों का। ये धम्म के पालन के अतिरिक्त लोगों में दानशीलता बढ़ाने, अपराधियों का दंड कम करवाने और लोगों की अन्याय से रक्षा करने का कार्य भी करते थे।

अशोक ने अपने व्यक्तिगत कार्यों से भी धम्म का प्रचार किया। उसने जनता के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, जिससे प्रभावित होकर सभी धर्मानुशासित व्यवहार कर सकें। उसने अहिंसा की नीति का पालन करते हुए युद्ध बंद करवा दिया। उसने स्वयं मांस-मदिरा त्याग दी। प्रथम शिलालेख के अनुसार, यज्ञ के लिए पशुओं का वध बंद करवा दिया गया। संभवतः, यह निषेधाज्ञा राजमहल या पाटलिपुत्र नगर तक ही सीमित थी। अशोक ने हिंसापूर्ण सामाजिक उत्सवों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसकी जगह धम्मसभाओं की व्यवस्था की गई,

जिनमें विमानदर्शन, हस्तिदर्शन, अग्निस्कन्ध इत्यादि स्वर्ग की ज्ञाँकियाँ प्रस्तुत की जाती थीं। इससे भी धर्म के प्रति लोगों का अनुराग बढ़ा। विहार-यात्रा (आखेट) बंद करवाकर अशोक ने धर्मयात्रा प्रारंभ की। उसने स्वयं बोधगया, लुम्बिनी, निगलीसागर इत्यादि की यात्राएँ कीं। इन कार्यों से जहाँ एक तरफ धर्म का प्रचार हुआ, वहीं प्रशासन का स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण भी स्थापित हुआ। धर्मयात्रा के अवसर पर अशोक दान भी देता था (बौद्धों, ब्राह्मणों, श्रमणों इत्यादि को) जिससे धर्म के प्रसार में वृद्धि हुई। अशोक ने धर्म-प्रचार के लिए भारत के विभिन्न भागों एवं विदेशों में प्रचार-मिशन भी भेजे। चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र, कश्मीर एवं गांधार, महिषमण्डल, अपरान्तक, महाराष्ट्र, वनवासी के अतिरिक्त प्रचार-मिशन पश्चिम के यवन-शासकों (सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, साइरिन, एपीरस) के पास, खोतान (मध्य एशिया) एवं सिंहलद्वीप (श्रीलंका) तथा सुवर्णभूमि (सुमात्रा) भी भेजे गए। इन सभी मिशनों में सबसे महत्वपूर्ण था अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजना। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तृतीय बौद्ध संगीति की समाप्ति के पश्चात अशोक ने विभिन्न क्षेत्रों में धर्मप्रचारक भेजे। इनमें निम्नलिखित का उल्लेख मिलता है—

काश्मीर और गांधार में मञ्जक्षतिक, महिषमण्डल में महादेव, यवन राज्यों में महारक्षित, अपरांत में धर्मरक्षित, हिमालय प्रदेश में मञ्जक्षम, महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित, वनवासी में रक्षित, सुवर्णभूमि में सोन और उत्तरा और श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा।<sup>1</sup>

अशोक ने धर्म-प्रचार के साथ-साथ बौद्धधर्म की प्रगति के लिए भी प्रयास किए। महेंद्र के मिशन के साथ ही श्रीलंका में बौद्धधर्म की स्थापना हुई। अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी सभा बुलाई और संघ में फूट डालनेवालों के लिए दण्ड की व्यवस्था की। इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्त तिस ने की। उसने लुम्बिनी में भूमि-कर की दर कम करवा दी एवं धर्म-कर समाप्त करवा दिया। इसी प्रकार उसने बुद्ध के भस्मावशेषों पर अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के इन कार्यों से धर्म के साथ ही बौद्धधर्म का भी विकास हुआ। प्रो॰ योगेंद्र मिश्र के शब्दों में, “अशोक के प्रचार ने बौद्धधर्म को विश्वधर्म में परिवर्तित कर दिया। यद्यपि अशोक का धर्म (धर्म) बौद्धधर्म नहीं था, फिर भी जब उसके प्रचारक बाहर गए होंगे, तब बाहरवालों ने उन्हें बौद्ध ही समझा होगा। फलतः, यहूदीधर्म और ईसाईधर्म पर बौद्धधर्म का जो प्रभाव पड़ा, उसका श्रेय कुछ अंशों में अशोक को दिया जा सकता है।”<sup>2</sup>

अशोक ने धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। वह पहला शासक था, जिसने मानव-कल्याण और मानव के नैतिक उत्थान के लिए इतना अधिक प्रयास किया। उसका धर्म सैद्धांतिक से ज्यादा व्यावहारिक था। इसका उद्देश्य नागरिकों में सामाजिक नैतिकता का विकास करना था।<sup>3</sup>